

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 6th JUNE, 1996

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 6th June, 1996

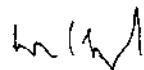
NOTIFICATION

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee, hereby approves the company specified in column (2) of the Table below and specifies the eligible project or scheme and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the Table below and also specifies in the column (4) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under said section 35AC.

T A B L E

Serial Number	Name of the Company	Project or Scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jindal Aluminium Limited, Jindal Nagar, Tunkur Road, Bangalore-560073.	Construction of school buildings in 16 villages at Hesaraghatta, Nelamangala and Dodaballapur Talukas; likely to cost Rs.80.60 lakhs.	Rs.80.60 lakhs.

2. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to assessment year 1997-98, 1998-99 and 1999-2000.


(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10104
F.No. NC-73/96

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-III खण्ड-3, उपखण्ड iii में दिनांक 6 जून, 1996 को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 6 जून, 1996

अधिसूचना

का०आ० §40- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43 का धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ख के साथ पठित उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे की सारणी के स्तम्भ §2 में विनिर्दिष्ट कंपनों को अनुमोदित करती है और नीचे की सारणी के स्तम्भ §3 में यथा उल्लिखित पात्र परियोजना या स्कीम तथा उसकी प्राक्कलित लागत विनिर्दिष्ट करती है और उक्त सारणी के स्तम्भ §4 में ऐसी लागत की वह अधिकतम रकम जो उक्त धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, विनिर्दिष्ट करती है ।

सारणी

क्रम सं०	कंपनी का नाम	परियोजना या स्कीम और उसकी प्राक्कलित लागत	धारा 35 क ग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम रकम
----------	--------------	---	---

§1	§2	§3	§4
1.	जिंदल अल्युमिनियम लि० जिंदल नगर, टुमकुर रोड, बंगलोर-560073	डोडाबल्लापुर, नेलामंगला, के 16 गांवों में विद्यालय सन्निर्माण, अनुमानित लागत	हेतरागबट्टा शबनों का 80.00 लाख रु० 80.00 रु०

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

§ वी० के० सहगल
उप सचिव, भारत सरकार

सं० 10104

फा० सं०-एन सी-73/96